

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)आ/एपीओ/अलेसे-आ/

दिनांक :-

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(आ) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 18.03.2013 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है :-

क्र. सं.	नाम लेखाकर्मियों सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई कब से कब तक	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
1	2	3	4
1.	अशोक कुमार गुप्ता	08.10.12 से 29.01.13	उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर।
2.	महेश कुमार शर्मा	01.11.12 से 29.01.13	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, प्रथम, सीकर।
3.	सुधीन्द्र पाल सिंह	26.10.12 से 29.01.13	कोषालय, भरतपुर।
4.	तुलसी दास कालरा	30.10.12 से 29.01.13	पंजीयक सहकारिता विभाग, जयपुर।
5.	बब्री प्रसाद	03.10.12 से 14.12.12	पंचायत समिति, खेतड़ी (झुंझुनू)

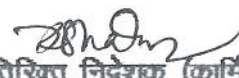

निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)आ/एपीओ/अलेसे-आ/17-29

दिनांक :- 4-4-13

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावे।
- ✓ 2. ए.सी.पी. (उपनिदेशक (आईटी) वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु (Sub-APO Salary drawing permission)
3. डेस्क ऑफिसर कार्मिक (II)
4. श्री को निदेश दिये जाते हैं कि अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को प्रस्तुत करे एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावे।
5. निजी सहायक, निदेशक।
6. निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)